निर्णय व इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 68 / 2024 (धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)
राज्य सरकार जरिये राजेश कुमार टांक, प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम।

प्रार्थी

बनाम

श्री कपीश शर्मा पुत्र श्री सुनील कुमार शर्मा, निवासी 31 कल्पतरू शॉपिंग सेन्टर, बाजोरिया स्कूल के सामने, शास्त्री नगर, जयपुर मालिक श्री श्याम ढाबा, 31 कल्पतरू शॉपिंग सेन्टर, बाजोरिया स्कूल के सामने शास्त्री नगर, जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्त शुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर बीपीसीएल क्षमता 14.2 किलोग्राम मय 36.500 किलोग्राम एल.पी.जी. व एक रेग्यूलेटर मय पाईप को राजसात (Confiscate) करने बाबत ।

उपस्थित:–

1. विभागीय पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 12.05.2025

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम से प्राप्त निर्देश की पालना में घरेलू गैस के अवैध व्यावसायिक उपयोग करने की सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी वहमराह प्रवर्तन स्टाफ के दिनांक 25.09.2024 को श्री श्याम ढाबा, 31 कल्पतरू शॉपिंग सेन्टर, बाजोरिया स्कूल के सामने शास्त्री नगर, जयपुर की जांच की गई। परिसर की जांच करने पर 05 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. क्षमता 14.2 किलोग्राम पाये गये। जिसमें से एक घरेलू गैस सिलेण्डर भट्टी से जोडकर व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा था। जिनको राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एव जब्त गैस सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित के काम आने वाली वस्तु होने से धारा 6–ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6–ए, (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 26.09.2024 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवावें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। अप्रार्थी दिनांक 21.11.2025 को स्वयं उपस्थित हुये, किन्तु आगामी पेशी पर उपस्थित नहीं है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।
3. बहस एक पक्षीय पैरोकार रसद सुनी गई।
4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि श्री श्याम ढाबा, 31 कल्पतरू शॉपिंग सेन्टर, बाजोरिया स्कूल के सामने शास्त्री नगर, जयपुर की जांच की गई। परिसर की जांच करने पर 05 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल.

जिला कलक्टर
जयपुर

क्षमता 14.2 किलोग्राम पाये गये। जिसमें से एक घरेलू गैस सिलेण्डर भट्टी से जोडकर व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर व्यावसायिक उपयोग में लिया जाना पाया गया। सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर जब्त 05 घरेलू गैस सिलेण्डरो मय एल.पी.जी. 36.500 किलो ग्राम को मैसर्स अशोका एचपी गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री पप्पूलाल योगी पुत्र श्री ओंकार नाथ की सुपुर्दगी में दिये गये। मौके पर अप्रार्थी द्वारा इस बाबत न तो कोई वैद्य दस्तावेज पेश किया गया और न ही व्यावसायिक उपयोग के संबंध में कोई संतोषजनक जबाब दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा सामग्री को राजसात (Confiscate) करने के आदेश फरमावे।

5. विभागीय पैरोकार रसद को गौर से सुना । पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 25.09.2024 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

6. प्रार्थी द्वारा जब्त किये गये सिलेण्डर्स के समर्थन में स्वामित्व संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। दौराने जांच मौके पर 05 बीपीसीएल कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी. 36.500 किलोग्राम पाये गये है। घरेलू एल॰पी॰जी॰ कम कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है, जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जाना वर्जित है इसके बावजूद अप्रार्थी फर्म द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर व्यावसायिक उपयोग में लिये जा रहे थे। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैध मुनाफा की आपराधिक मनःस्थिति एवं बदनियती स्पष्ट जाहिर होती है। इसलिए जब्त सिलेण्डर्स मय एलपीजी एवं जब्त सामग्री को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 05 बीपीसीएल कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी. 36.500 किलोग्राम एवं एक रेग्यूलेटर मय पाईप को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते है।

8. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दिनांक 26.09.2024 को अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश दिये गये है तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।

9. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो । पत्रावली फैसल शुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो ।

10. निर्णय आज दिनांक 12.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner